कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल
विकास भवन, भीमताल–नैनीताल

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोटेशन सूचना

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में पहले चरण में 10 तथा दूसरे चरण में 10 कुल 20 गॉव चयनित हैं। इस हेतु विभिन्न स्तर पर 10 संकेतकों यथा–पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, समाज सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, विद्युत और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां आदि, वित्तीय समावेशन, डिजटलीकरण तथा जीवन यापन और कौशल विकास आदि क्षेत्रों में पहचानशुदा सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में सुधार किया जाना है, ताकि अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति जनसंख्या में असमानता समाप्त की जा सके और संकेतकों का स्तर कम से कम राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाया जा सके। जनपद स्तर पर जनपद तथा ग्राम स्तरीय अभिसरण समिति के सदस्यों तथा अन्य हितधारकों का तकनीकी संसाधन सहायता, क्षमता विकास तथा तकनीकी प्रशिक्षण कराने, पर्यवेक्षण, ग्राम विकास योजना (वी0डी0पी0) निर्माण हेतु तकनीकी सहयोग, पी0एम0ए0जी0वाई0 के पोर्टल में डाटा स्क्रीनिंग एवं डाटा इन्ट्री तथा समान प्रकृति के ऐसे कार्य, जिससे पी0एम0ए0जी0वाई0 के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु जनपद एवं ग्राम स्तर पर सहायता प्राप्त हो सके, के लिए योग्य तथा इस प्रकार की योजना हेतु अनुभवी इच्छुक प्रशिक्षणदाता तकनीकी संस्थाओं से प्रशिक्षण हेतु दरों की सूचना जनपद प्रशिक्षण हेतु आवेदन निम्न शर्तों के अनुसार दिनांक 27 दिसम्बर 2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, भीमताल नैनीताल में शीलबंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते हैं।

1. संस्था का किसी अन्य राज्य में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना या अन्य समान प्रकार की योजनाओं हेतु जिला एवं ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण का अनुभव हो। साथ ही भारत सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हेतु अनुभव हो। इसके प्रमाण हेतु प्रशिक्षित गतिविधियों के साक्ष्य में फोटोग्राफ, प्रशिक्षण सत्रों का विवरण तथा उपस्थिति तथा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की गाईडलाइन, कोटेशन प्रस्ताव हेतु नियम/शर्तो का विवरण तथा प्रति जनपद प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दरें उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप समाज कल्याण विभाग की बेवसाईट www.socialwelfare.uk.gov.in पर Upload किया गया है, जिसे इच्छुक संस्थाओं द्वारा Download किया जा सकता है।
3. संस्थाओं से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव का परीक्षण करने एवं चयन से पूर्व संस्था द्वारा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयुक्तता के परीक्षण हेतु पी0पी0टी0 एवं अन्य तकनीकी माध्यमों के द्वारा प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया जायेगा।
4. आवेदन रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं उपस्थित होकर **दिनांक 27 दिसम्बर 2019** को अपराह्न 05:00 बजे तक कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, भीमताल–नैनीताल में** प्राप्त होना आवश्यक है। नियत तिथि/समय के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही विलम्ब से प्राप्त कोटेशनों पर विचार किया जायेगा। डाक प्रेषण में विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
5. सशर्त, अपूर्ण, अहस्ताक्षरित, निर्दिष्ट शर्तो के विपरीत एवं निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं होंगे।
6. **आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है–**
   (1) फर्म का वस्तु एवं सेवाकर सम्बन्धी पंजीकरण (जी.एस.टी पंजीकरण नं0) की सत्यापित प्रति।
   (2) विगत 03 (तीन) वर्षो का आयकर रिटर्न की छायाप्रति।
   (3) स्थायी आयकर खाता (PAN) संख्या की छायाप्रति।
   (4) संस्था का 03 वर्षो का टर्नओवर (पिछले 3 वर्षो का) रू0 50.00 लाख प्रति वर्ष से कम नहीं हो, विषयक सूचना।
   (5) फर्म को काली–सूची (Black List) मे दर्ज न किया गया हो (शपथ पत्र)।
   (6) सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जनपद स्तर पर एक दिवसीय होगा।
8. प्रशिक्षकों की योग्यता तथा अन्य विवरण दिया जाना होगा। संस्था के कार्मिकों के यात्रा, आवास एवं भोजन आदि के व्यवस्था स्वयं संस्था द्वारा की जायेगी।
9. संस्था द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन पूर्ण होने के पश्चात प्रशिक्षण के फोटोग्राफ एवं संतोषजनक प्रमाण पत्र सहित रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी, **नैनीताल** को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रशिक्षण में उपयोग होने वाले उपकरण आदि स्वयं उपलब्ध कराने होंगे। विभाग द्वारा स्वयं केवल स्थान एवं सूचना तंत्र की व्यवस्था की जायेगी।
11. चयनित संस्था द्वारा जनपद में योजना के प्रत्येक संकेतक एवं सर्वेक्षण हेतु भरे जाने वाले प्रारूपों की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऐसी सरल पद्धति से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिससे चयनित ग्रामों का निर्धारित प्रारूप पर तत्काल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो जाय एवं वी0डी0पी0 भी सुगमता से तैयार हो सके।
12. प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त एम0आई0एस0 पोर्टल पर योजना के कियान्वयन तथा वी0डी0पी0 तैयार कराने हेतु प्रशिक्षणार्थियों को यथा आवश्यक अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।
13. संस्था द्वारा गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त समस्त प्रशिक्षणार्थियों से निर्धारित प्रारूप पत्र पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा तथा प्रशिक्षणार्थियों का फीड बैक विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
14. संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित दर अंकित की जाय। एक से अधिक दरें अंकित किये जाने पर संस्था के कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। दरें अंकों एवं शब्दों में अंकित की जायं।
15. आवेदन में मांगे गये सभी साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियॉ आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, प्रमाणित साक्ष्यों के अभाव में संस्था का कोटेशन निरस्त माना जायेगा। संस्था का चयन होने पर तथा विवाद की स्थिति में साक्ष्यों की मूल प्रतियॉ कार्यालय में जॉच हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।
16. नियम व शर्तों के अनुरूप कोटेशन प्रस्तुत न किये जाने पर प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। कोटेशन की स्वीकृति प्रकिया सम्पन्न करने वाली क्रय समिति को बिना कारण बताये किसी एक को अथवा समस्त कोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
17. चयनित प्रशिक्षणदाता संस्था द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त कार्यादेश जारी होने के बाद किसी प्रकार के कर को जोड़ने की मांग नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा इस प्रकार से की गयी किसी भी मांग को मान्य नहीं किया जायेगा। कोटेशन में प्रशिक्षण दरों/शुल्क की गणना में समस्त करों को जोड़ते हुए की जाएगी।
18. कोटेशन की स्वीकृति जिला समाज कल्याण अधिकारी, **नैनीताल** की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय क्रय समिति द्वारा समुचित परीक्षणोपरान्त प्रदान की जायेगी तथा कार्यादेश जिला समाज कल्याण अधिकारी, **नैनीताल** द्वारा जारी किये जायेंगे। कार्यादेश के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करना होगा।
19. देयकों से नियमानुसार करों की वैधानिक कटौती की जायेगी।
20. **भुगतान की प्रक्रिया–** प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त चयनित संस्था द्वारा भुगतान हेतु बिल जिला समाज कल्याण अधिकारी, **नैनीताल** को प्रस्तुत करना होगा, जिसके पश्चात संस्था को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जनपद **नैनीताल** होगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नैनीताल ।

सेवा में

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नैनीताल।

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य में संगठन द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य अनुभव तथा कार्य क्षमता।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आमंत्रण के सम्बंध में, जो दिनांक .... को प्रकाशित हुआ है, के कार्य हेतु हम प्रस्ताव दो प्रतियों, दो बन्द लिफाफों में अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है–

1. प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित दरों का विवरण–(प्रारूप–1)
2. संगठन का विवरण (प्रारूप–2)
3. सम्बंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव (प्रारूप–3)
4. संगठन की वित्तीय क्षमता (प्रारूप–4)
5. घोषणा पत्र (प्रारूप–5)
6. अतिरिक्त सूचनायें–

भवदीय

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदन का पूरा नाम
मुहर, दिनांक सहित

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

प्रारूप–1

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्था द्वारा प्रस्तुत दर का विवरण

सेवा में,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नैनीताल ।

विषयः–प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दरों के सम्बंध में ।

महोदय

कृपया प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर 10 संकेतकों में कार्य कराने, सर्वेक्षण कराने हेतु तकनीकी संसाधन सहायता हेतु जिला एवं ग्राम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अभिसरण समितियों और अन्य सम्बंधित हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में योजना के संकेतकों के अनुसार सर्वेक्षण कराने और वी0डी0पी0 की तैयारी कराने हेतु जनपद देहरादून में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समस्त करों सहित निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(धनराशि पूर्ण रूपये में)

संस्था का नाम	जनपद प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित दर (अंकों एवं शब्दों में)

दिनांक दिसम्बर 2019

हस्ताक्षर–
संस्थाध्यक्ष / प्रबन्धक का नाम–
संस्था का नाम–
पूर्ण पता–
ई–मेल पता–
मोबाइल नम्बर–

प्रारूप– 2

क.सं.	संगठन का विवरण	
1	संगठन का नाम	
2	मुख्य कार्य क्षेत्र	
3	प्रशिक्षण विशेषज्ञों का विवरण	
4	संगठन / कंपनी / पार्टनरशिप का प्रकार तथा भारतीय कंपनी कानून, 1956 तथा पार्टनरशिप कानून, 1932 का विवरण	
5	क्या फर्म केन्द्र सरकार या राज्य सरकार / संघ राज्य / राजकीय संगठन / स्वायत्त संगठन द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है, यदि हॉ तो विवरण दिया जाय	
6	संगठन का पंजीकृत कार्यालय का पता– टेलीफोन संख्या / फैक्स संख्या–	
7	सम्पर्ककर्ता का टेलीफोन नम्बर / ई–मेल आई.डी.	

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदन का पूरा नाम
मुहर, दिनांक सहित

प्रारूप– 3

सम्बंधित कार्य क्षेत्र में अनुभव–

क्र. सं.	मद	विगत तीन वर्षो में हुए अनुबंध का विवरण– व्यक्ति संगठन का नाम (प्रत्येक कार्यपूर्ति का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)
1	पूर्व में हुए प्रशिक्षण का अनुभव अथवा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कार्यपूर्ति का अनुभव	
1.1	राज्य सरकार से उपरोक्तानुसार हुए प्रशिक्षण से सम्बंधित अनुभव	

मुहर / तिथि

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम व पता सहित

प्रारूप– 4

संस्था की वित्तीय स्थिति				
क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	लाभपरक हाँ / नहीं	वार्षिक शुद्व लाभ (धनराशि रू0 लाख़ में)	सालाना करोबार (धनराशि रू0 लाख़ में)
1	2016.17			
2	2017.18			
3	2018.19			

मोहर एवं तिथि

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम सहित

प्रारूप– 5

घोषणा

उत्तराखण्ड राज्य के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत कार्य क्षमता, विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हम कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से इच्छुक हैं। हमारी संस्था राज्य अथवा केन्द्र सरकार के स्तर पर काली सूची में दर्ज नहीं है।

जो सूचनायें उपलब्ध करायी गयी हैं, वे सही व सत्य हैं।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
हस्ताक्षर की तिथि–